Heavy traffic on Jaipur-Ajmer National Highway

*32. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the abnormal increase in the traffic on the National Highway from Jaipur to Ajmer resulting in a number of fatal accidents;

(b) whether Government have received any demand for widening the road so as to make it four laned; and

(c) if so, the amount of funds allocated for this purpose during the current financial year as well as in the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNNIKRISHNAN): (a) Government are aware that traffic in the National Highway between Jaipur and Ajmer has increased increment years.

(b) Yes, Sir.

(c) No funds have been allocated during the annual plan 1990-91 and Eighth Plan is not yet finalised.

दिल्ली में दैनिक बस यात्रियों की संख्या में वृद्धि

*33**श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोडा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी के कारण दैनिक बस यात्रियों की संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1988-89 के दौरान दिल्ली में दैनिक बस यात्रियों की संख्या क्या थी और उनके लिए दिल्ली में कितनी बसों की आवश्यकता आंकी गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के पास आवश्यकता से बहुत कम बसें हैं, यदि हां, तो जून 1990 में उनकी संख्या कितनी थी और आवश्यकतानुसार बसों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में भावी योजना क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 के दौरान दि०प०नि० ने प्रतिदिन औसतन 42.79 लाख यात्री ढोए। दि०प०नि० के पर्यवेक्षाधीन चल रहीं निजी बसों अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदत्त स्टेज कैरिज परमिट अथवा कौन्ट्रेक्ट कैरिज परमिटों पर चलाई जा रहीं निजी बसों द्वारा लाए-ले जाए गए यात्रियों की संख्या मालूम नहीं है। योजना आयोग द्वारा सड़क परिवहन पर गठित कार्यदल ने अपनी 1984 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 1988-89 में कुल 8567 बसों की आवश्यकता होगी।

(ग) जून, 1990 में दि०प०नि० की बसों की संख्या 4406 थी। इसमें निजी बसों द्वारा अनुपूर्ति की गई है। 1990-91 की वार्षिक योजना में दि०प०नि० के लिए 700 नई बसें खरीदने के लिए प्रावधान शामिल है।

कश्मीर में हत्यायें

***34. श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान कश्मीर में मारे गये अन्य सरकारी कर्मचारियों सहित उग्रवादियों तथा सुरक्षा कार्मिकों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी थी ; और

(ख) उनके बारे में ब्यौरा क्या है और इस प्रकार से मारे गये सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को क्या राहत प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहमद सईद) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित

किया है कि 1 मई से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान पुलिस तथा सुरक्षा बल के 26 कार्मिक मारे गए । उपलब्ध सूचना के अनुसार इसी अवधि के दौरान मारे गये उग्रवादियों की संख्या 171 है ।

(ख) जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए लोगों के निकटतम संबंधी आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई अनुग्रहपूर्वक अनुदान की मात्रा का विवरण संलग्न है । (नीचे **देखिये**)

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को निम्न प्रकार से अनुग्रहपूर्वक सहायता की राशि देने के आदेश जारी किए हैं :

(क) मजिस्ट्रेट, पुलिस कार्मिक तथा अर्द्धसैनिक बल :

1. मृत्यु के लिए . . .	1.25 लाख रुपए
2. स्थाई विकलांगता के लिए . . .	25,000 रुपए
3. आंशिक विकलांगता के लिए . . .	10,000 रुपए

(ख) पुलिस कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी :

1. मृत्यु के लिए	1.00 लाख रुपए
2. स्थाई विकलांगता के लिए	25,000 रुपए
3. गंभीर चोट के लिए . . . . (24 घण्टे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	5,000 रुपए
4. चोट के लिए . . . . (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	1,000 रुपए
5. हल्की चोट के लिए . . . . (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	500 रुपए

(ग) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति :

1. मृत्यु के लिए	1.00 लाख रुपए
2. स्थाई विकलांगता के लिए . . .	25,000 रुपए
3. चोट . . . . . (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	5,000 रुपए

4. चोट . . . . . 1,000 रुपए

(24 घण्टे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर

5. हल्की चोट . . . . 500 रुपए

(प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)

इसके अतिरिक्त, पुलिस/ सुरक्षा कार्मिकों सहित जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से मारे जाते हैं, उनके परिवार उन पर लागू संबंधित सेवा नियमों के अधीन परिवार पेंशन, समूह बीमा निपटारों तथा अन्य लाभ पाने के पात्र हैं।

Pakistani warships in Sri Lanka

*35. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI SHANTI TYAGI:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Pakistani warships arrived in Colombo in the second week of July 1990, carrying weapons of war for the Sri Lankan army;

(b) if so, what measures Government propose to take to protect the Tamil population there and to safeguard the security of India;

(c) whether Government have since ascertained from the Sri Lanka Government as to the purpose of the said visit by Pakistani warships; and

(d) whether there is any agreement between India and Sri Lanka emphasising restriction on the visit of warships of third country in the vicinity of each other's sea zones; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) to (c) According to information avail *ibis* with the Government, the two vessels that called at the Colombo port from 8—11 July, 1990 were not warships, nor were they carrying weapons for the Sri Lankan Army.

(d) No, Sir,

Inter-State Council

*36. MISS. SAROJ KHAPARDE:
SHRI SYED SIBTEY RAZI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have constituted an Inter-State Council as recommended by the Sarkaria Commission to promote Centre-State as well as Inter State relations;

(b) whether a permanent Secretarial is being set up for the day-to-day functioning of the Council; and

(c) whether Government propose to include the members of the Opposition parties in the Council; if not. the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMED SAYEED): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) No such proposal is under consideration. The Sarkaria Commission has not made any such suggestion. The Constitution envisages the Inter-State Council as a co-ordinating mechanism between the Centre and the States.

Waiting list for telephone connections in Hubli-Dharwad in Karnataka

*37. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that HUBLI-DHARWAD in Karnataka has a long Waiting List for telephone connections pending for a long time;